



## \* जाति प्रमाण-पत्र \*

प्र० १४/  
१०-२०१५

क्रमांक: RJ14/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/26254  
10-2015

दिनांक 15 -

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि पुत्र हनुमान राम गांव/नगर रूण जिला/डिवीजन नागौर राज्य/संघ गज्य क्षेत्र साजस्थान में मेघद्वाल (46) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है -

तत्त्विद्यान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, तत्त्विद्यान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, तत्त्विद्यान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूचिया (लंशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुर्गाठन अधिनियम 1960, एजाम पुर्गाठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर प्रदीप क्षेत्र (उन्नगठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (लंशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (गोडाचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर इंद्रेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी रवि गांव/नगर रूप्ण जिला/डिवीजन नागौर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।


三

- 1 यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
  - 2 राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीत विभाग की अधिसचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू.ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
  - 3 उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोरुक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खालिक किया जा सकेगा।
  - 4 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बधित दस्तावेजात जिले के सम्बधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगे।
  - 5 यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
  - 6 प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.gov.in](http://www.emitra.gov.in) पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सन्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, मण्डवा

Signature valid

Digitally signed by  
SHANKAR SINGH  
RATHORE  
Date: 2016.12.15  
08:20:37 IST  
Reason: SCM  
Location: Rajasthan



1514071310095355